

को पेश किया कि इस बार में पुत्रियां अपने भाइयों से एक भाग रही हैं जिससे अंतरिम अल्पार्थ निषेधाज्ञा जारी रह सकेगी जो किना पुनः ही सम्पूर्ण खाल पर जारी की गई है जो कि सह खातेदारों के हितों के लिए है।

पत्रावली के अवलोकन व मंगल लेखक हैं कि अंतरिम अल्पार्थ निषेधाज्ञा एकपक्षीय जारी की गई है जो कि तत्कालीन समय पर स्वीची परन्तु चूंकि एक एक अन्य प्रकारों में सह खातेदारों ने विभाजन करा लिया है जिनके मिन नम्बरी कलगा कापन किए जा चुके हैं अतः अब उन मिन खसरा नम्बरों में प्राचीनता का कोई एक हिस्सा नहीं बनता है।

अतः प्राचीनता ^{पत्र} प्रांशिक स्वीकार किया जाकर प्राचीनता के हिस्सों पर अल्पार्थ निषेधाज्ञा वार्द के निस्तारण तक जारी रहेगी परन्तु खसरा नं २२५/२२५२ के विभाजन में अन्य सह खातेदारों के हिस्सों में भार खसरा नम्बरों पर अल्पार्थ निषेधाज्ञा अप्रभावी की जाती है।

निवेद्य आज दिनांक २१/६/१८ को कैम्प कोर्ट अटल जेवा केन्दु रोड़ी में सुनाया गया कि पत्रावली केसल शुभारक्षक नम्बरों से कर दो का दाखिल दफ्त है।

उपसचिव अधिकारी